समाहरणालय, सिवान
(जिला विकास शाखा)
विद्युत ठेकेदार/वायर मैन/सुपरवाईजर को अनुज्ञप्ति एवं प्रमाण–पत्र निर्गत किये जाने हेतु
शिविर आयोजन की सूचना

विद्युत सुरक्षा एवं आपूर्ति संबंधी उपाय के विनियम 29 के आलोक में जिलान्तर्गत विद्युत के जर्जर तारों को बदलने एंवं अन्य विद्युत सुधार/उपाय कार्य के लिए विद्युत ठेकेदार की अनुज्ञप्ति एवं वायर मैन/सुवरवाईजर को प्रमाण–पत्र देने के लिए **दिनांक 30.06.2017 को 11.00 बजे पूर्वा0 में एक** शिविर **सभाकक्ष समाहरणालय, सीवान में** आयोजित किया गया है।

इस हेतु निम्न कागजातों के साथ इच्छुक/योग्य उम्मीदवारों/आवेदको द्वारा निर्धारित तिथि के पूर्व तक अपना आवेदन विहित प्रपत्र में जिला विकास शाखा, सिवान/कार्यालय विद्युत कार्यपालक अभियंता, सीवान को समर्पित कर सकते है। वायरमैन हेतु आवेदकों को विद्युत संबंधी कार्य का न्यूनतम एक वर्ष का व्यवहारिक ज्ञान आवश्यक है। पर्यवेक्षक हेतु आवेदकों की योग्यता विद्युत अभियंत्रण/डिप्लोमा/आई0टी0आई0 (इलेक्ट्रीशियन)/मैट्रिक उर्त्तीण होने के साथ–साथ कार्यानुभव क्रमशः आवश्यकता नहीं है/02 वर्ष/04 वर्ष/06 वर्ष होना अनिवार्य है। जबकि विद्युत ठेकेदार दो परमिटधारी वायरमैन तथा एक प्रमाण–पत्र धारी पर्यवेक्षक की नियुक्ति करेगा एवं संबंधित सचिव लाईसेंसिंग बोर्ड के समक्ष उपस्थित होकर शपथ करना होगा।

आवश्यक कागजात	फीस
• विहित प्रपत्र में तीन पासपोर्ट साईज फोटो के साथ आवेदन • आवासीय प्रमाण–पत्र का अभिप्रमाणित छायाप्रति • अद्यतन आचरण प्रमाण–पत्र • शपथ पत्र	• ठीकेदार के लिए 250 रू0 • पर्यवेक्षक के लिए 100 रू0 • वायरमैन के लिए 25 रू0 • नोट – फीस जिलाधिकारी कार्यालय में जिला पदाधिकारी, सिवान के पदनाम से चेक, बैंक ड्राफ्ट द्वारा भुगतेय होगा।

विस्तृत जानकारी के लिए प्रभारी पदाधिकारी, जिला विकास शाखा,सिवान के मो0नं0 9471609721 पर अथवा समाहरणालय, सिवान स्थित जिला विकास शाखा/कार्यालय विद्युत कार्यपालक अभियंता, सिवान के कर्यालय में सम्पर्क कर सकते है।

–ह0–
जिलाधिकारी,
सिवान

ज्ञापांक 504/विकास, दिनांक 15.06.2017

प्रतिलिपि :– जिला सूचना जंनसम्पर्क पदाधिकारी, सिवान को स्थानीय समाचार पत्रों में इस आशय की सूचना समाचार के रुप में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, सिवान को सिवान जिला के वेबसाईट पर अपलोड करने तथा सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों/अंचलाधिकारियों तथा जिला के अन्य सभी पदाधिकारियों को उनके ई0मेल पर उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– अनुमण्डल पदाधिकारी, सिवान सदर/अनुमण्डल पदाधिकारी, महाराजगंज को सूचनार्थ एवं व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– अधीक्षण अभियंता विद्युत, छपरा/विद्युत कार्यपालक अभियंता, सिवान एवं कनीय अभियंता, विद्युत कार्य प्रशाखा, सिवान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। विद्युत कार्यपालक अभियंता अपने स्तर से अधीनस्थ सहायक/कनीय विद्युत अभियंता, सिवान को इस संबंध में व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु निदेशित करेंगें। साथ ही कनीय विद्युत अभियंता विद्युत कार्य प्रशाखा के साथ वर्णित तिथि को शिविर में उपस्थित रहेगें ताकि विद्युत अनुज्ञप्ति हेतु योग्य उमीदवारों का चयन सुगमता पुर्वक किया जा सके।

15/6/17
जिलाधिकारी,
सिवान

D:\Manoranian prasad Shrivastwa/Widhut Prman Patr ka Shiwir 27012014